चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 21.10.2024 को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन्स चित्रकूट स्थित शदीह स्मारक पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा शहीद पुलिस जवानों को याद किया गया तथा सम्पूर्ण उ0प्र0 में कर्तव्य पालन के दौरान सितम्बर 2023 से अगस्त 2024 तक शहीद हुये पुलिस जवानों के नामों व उनकी वीर गाथाओं को पढ़कर सुनाया गया तथा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुये सभी शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजली अर्पित की गयी। इसी क्रम में इस अवसर पर उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गयी। तत्पश्चात सेरेमोनियल गार्द द्वारा शहीद पुलिस जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सभी शहीद पुलिस जवानों को शोक सलामी दी गयी व 02 मिनट का मौन धारण किया गया।

इस अवसर पर जनपद चित्रकूट में शहीद हुये जवानों के परिजनों को आमंत्रित किया गया था किन्तु वर्ष 2009 में थाना राजापुर क्षेत्रान्तर्गत मुठभेड़ में शहीद हुये स्व0 आरक्षी इकबालुद्दीन की धर्मपत्नी एवं उसी मुठभेड़ में शहीद हुये स्व0 आरक्षी वीर सिंह के सुपुत्र को शहीद स्मारक पर आमंत्रित किया गया एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कर कमलों से दोनों वीर शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रतिसार निरीक्षक कन्ट्रोल रुम श्री रविन्द्र कुमार, समस्त थाना/शाखा प्रभारी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर मोटरसाइकिल चोरी की घटना का खुलासा करते हुये 01 चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.10.2024 को वादी श्री विजय कुमार पुत्र रामकिशन निवासी परदवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि रात्रि में उनके घर के बाहर से किसी अज्ञात चोर ने उनकी सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 96 डीई 9853 को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 298/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 21.10.2024 को समय करीब 11.10 बजे अभियुक्त भइय्यन पुत्र सीताराम निवासी मल्हीपुर थाना सरायं अकिल जनपद कौशाम्बी को चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 96 डीई 9853 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

भइय्यन पुत्र सीताराम निवासी मल्हीपुर थाना सरायं अकिल जनपद कौशाम्बी

<u>बरामदगीः-</u>

चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 96 डीई 9853

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मऊ
2.उ0नि0 श्री हरीशंकर राम
3.आरक्षी ब्रजेन्द्र राय

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2018 धारा 363,376(1),342,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त जगदीश परउन्हा पुत्र सोमदत्त निवासी सिकरौली थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 30.04.2018 को वादी द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी थी कि अभियुक्त जगदीश उपरोक्त द्वारा उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया है । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 70/2018 धारा 363,376(1),342,506 भादवि0 बनाम जगदीश उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शिववचन सिंह द्वारा की गयी । दिनाँक 03.05.2018 को अरोपी को गिरफ्तार कर दिनाँक 24.06.2018 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0(एफटीसी) जनपद चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 401/2017 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त जगजीवन उर्फ पुत्र ननकू निवासी भवानी पुरवा मजरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी कमलाकान्त द्विवेदी द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पियूष यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी 1. असरफ नवाज पुत्र मो0 नवाज निवासी महावीर नगर थाना मानिकपुर 2. धनकुमार पुत्र रामहित यादव निवासी ऐलहा बढ़ईया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा तथा कुल 400/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). अपर पुलिस महानिदेशक यूपी0-112 मुख्यालय लखनऊ के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी डायल-112 चित्रकूट व प्रभारी डायल-112 निरीक्षक श्री शम्भू दयाल मौर्य के पर्यवेक्षण में श्रीमंत देवराज क्रिएशन कानपुर की नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह भदौरिया के नेतृत्व में आज दिनाँक 20.10.2024 को रोड बरगढ़ तिराहा

दूसरा स्थान ग्राम भौरी थाना रैपुरा,चौकी सरैया कस्बा,बैंक के पास पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

इस दौरान नुक्कड़ नाटक टीम के कलाकारों द्वारा आम जनमानस को आपातकाल की स्थिति में त्वरित सहायता हेतु तत्काल डायल-112 पर कॉल करने हेतु जागरुक किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के नाटक प्रस्तुत किये गये जैसा कि यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना होती है तो तत्काल उसे अस्पताल भेजें न कि वीडियो बनायें या फिर तत्काल 112 डायल करें, किसी भी कार्यालय में यदि किसी महिला का उनके उच्चाधिकारी द्वारा उत्पीड़न किया जात है तो तत्काल 112 डायल करें, यदि किसी घर में पति के द्वारा महिला के साथ मारपीट की जाती है तो ऐसी स्थिति में तत्काल 112 डायल करें।

(9). मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन बचपन के क्रम में आज दिनाँक 21.10.2024 प्रभारी निरीक्षक थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग श्री शिवमूरत यादव के मार्गदर्शन में एएचटीयू थाना की टीम द्वारा कर्वी शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, रामघाट के आस-पास होटलों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस दौरान होटलों में हो रहे बालश्रम की चेकिंग की गयी,चेकिंग के दौरान एक ढाबा मालिक द्वारा एक बच्चे से बालश्रम कराया जा रहा था उसके विरुद्ध बालश्रम अधिकारी द्वारा निरीक्षण टिप्पणी की गई तथा समस्त होटल/ढ़ाबा मालिकों

को जागरुक किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम न कराया जाये तथा पम्पलेट्स वितरित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076,साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930,वूमेन पावर लाइन नंबर 1090 दी गयी।

इस दौरान घुमंतू परिवार के लोगों को यह भी हिदायत दी कि बच्चों से बाल श्रम व भीख ना मंगवाए स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें।

इस दौरान बालश्रम अधिकारी श्री महेंद्र कुमार,उपनिरीक्षक श्री सदानंद सिंह थाना एएचटीयू उपस्थित रहे।